

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

फोन- 0651-2400981, फ़ैक्स- 0651-2400982, ई-मेल-govjharkhandtourism@gmail.com, वेबसाइट : www.tourism.jharkhand.gov.in

सेवा में,

उपायुक्त,
लोहरदगा।

राँची, दिनांक 31/01/2023

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष-5452-पर्यटन, जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत वन विश्रामागार, नेतरहाट एवं कुडू भवन मरम्मत एवं सुसज्जीकरण हेतु कुल ₹ 53,00,400 (तिरपन लाख चार सौ रू०) मात्र के आवंटन के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या - 31, दिनांक - 27.01.2023

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के आलोक में राज्य स्कीम बजट मुख्यशीर्ष -5452- पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य, लघुशीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष -75- विभिन्न पर्यटक स्थलों का समेकित विकास, विस्तृत शीर्ष -05- निर्माण, 45 - निर्माण कार्य (विपत्र कोड 46-S-5452-80-796-75-00-05-45) के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विषयांकित कार्य हेतु ₹ 53,00,400 (तिरपन लाख चार सौ रू०) मात्र आवंटित किया जाता है।

2. आवंटित राशि की निकासी जिला कोषागार, लोहरदगा से की जायेगी।
3. उपायुक्त, लोहरदगा इस राशि को बुक ट्रांसफर से वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमंडल के जमा शीर्ष-8782 में उपलब्ध करायेंगे।
4. निदेशक, पर्यटन/वन विभागीय पदाधिकारी समय - समय पर कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा कार्य का पर्यवेक्षण/निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन करायेंगे।
5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा प्रत्येक माह मासिक प्रगति प्रतिवेदन (भौतिक एवं वित्तीय) विभाग को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
6. ये सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि प्रश्नगत कार्य पर किसी अन्य मद से राशि व्यय की गयी है या की जा रही है, तो इस राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
8. निदेशक, पर्यटन द्वारा उक्त संरचनाओं के निर्माण के उपरांत, वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमंडल से समन्वय कर उक्त संरचनाओं का प्रबंधन एवं संचालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा एवं इन संरचनाओं में विभागीय Website के माध्यम से Online Booking की सुविधा उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाएगा।
9. इस राशि से किये गये कार्य के विरुद्ध नियमानुसार व्यय किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम निकासी नहीं की जायेगी।


Y. Mahi

10. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों, वित्त नियमावली, झारखण्ड कोषागार संहिता/वन विभाग के संबंधित नियम/पी०डब्लू०डी० कोड का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा द्वारा राशि का विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय विभाग को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।


12. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०, दिनांक 17.04.1998 के आलोक में किया जायेगा।

13. आवंटित राशि का व्यय नहीं होने की स्थिति में राशि के प्रत्यार्पण की सूचना 25 मार्च, 2024 तक विभागीय बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।


(मनोज कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : पर्य०/यो० - 37/2022 -43...../राँची, दिनांक 31.01.2023/

प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड/महालेखाकार (लेखा परीक्षा-2) झारखण्ड, राँची/निदेशक, पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड, राँची/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास, झारखण्ड/वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा/कोषागार पदाधिकारी, लोहरदगा/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/मा० विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs Department (Tourism Division)

यात्रा वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - PAR/YOJ-37/2022/-43

दिनांक - 31-Jan-2023

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 46 54528079675000545 5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 75 - पर्यटक स्थलों का समेकित विकास एवं पर्यटन अवसरचना विकास 00-NA 05 - निर्माण State Scheme	79403	LDGDAD030 SHRI WAGHMARE PRASAD KRISHNA DEPUTY COMMISSIONER LOHARDAGA 45 - निर्माण कार्य	5,300,400.00 रुपये तीरपन लाख चार सौ
	State Scheme : Central Scheme :	INTEGRATED DEVELOPMENT OF VARIOUS TOURIST PLACES(1882) NA		



योग: 5,300,400.00
रुपये तीरपन लाख चार सौ

क्रमिक योग:

(MANOJ KUMAR)

SECRETARY